

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गुना (म.प्र.)

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, dfoguna@rediffmail.com

क्रमांक/डी.एम./2023/6595
प्रति,

गुना दिनांक/
27.7.23

वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

विषय :- गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 1.992 हेक्टेयर वनभूमि मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित गुना को उपयोग पर देने वावत्। (FP/MP/WATER/146483/2021)।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क./एफ-5/1199/2022/10-11/4363 भोपाल दिनांक 26.12.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 1.992 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने हेतु संबंधित यूजर एजेन्सी द्वारा प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पुनः प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले में समतुल्य गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) ग्राम रामगिर खुर्द तहसील आरोन सर्वे क. 92/1 में उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अतः प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु परिक्षेत्राधिकारी आरोन से वृक्षारोपण योजना तैयार कराई जाकर, भाग-2 (संशोधित) की पूर्ति उपरांत प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल गुना

(संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य संख्या - FP/MP/WATER/146483/2021

1	जिला	1	मध्यप्रदेश						
2	जिला	2	जिला -गुना						
3	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्तावित/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	3	जिला गुना में विकासखण्ड आरोन एवं राघौगढ़ के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र आरोन, राघौगढ़ एवं गुना दक्षिण के वनक्षेत्र में महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई, गुना द्वारा राजघाट बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन डाले जाने हेतु 1.992 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है। आवेदित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :- ON LINE CASE NO. FP/MP/WATER/146483/2021						
			(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि में :-						
			अ. क्र.	कार्य	वनमण्डल का नाम	वन खण्ड	प्रकोष्ठ क्रमांक	आरक्षित/ संरक्षित	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.मै.)
			1	2	3	4	5	6	
			1	नल जल हेतु भूमिगत पाइप लाइन विछाने बाबत	गुना	पूर्व राघौगढ़	P 155	संरक्षित	0.0038
			2				P 147		0.0686
			3				P 144		0.0442
			4				P 145		0.0033
			5			किशनगढ़	P 711		0.2862
			6			उत्तर राघौगढ़	P 682		0.3024
			7				P 683		0.1663
			8				P 684		0.0447
			9				P 686		0.1659
			10				P 687		0.1091
			11				P 688		0.0770
			12				P 675		0.0536
			13				P 674		0.0220

14	उत्तर राघौगढ़	P 676	संरक्षित	0.0088
15		P 677		0.0208
16		P 679		0.0220
17		P 678		0.0280
18	दक्षिण राघौगढ़	P 706		0.0846
19		P 702		0.0154
20		P 699		0.0938
21		P 700		0.0453
22	भैसाना	P 696		0.0318
23	हिलगना महु	P 316		0.1955
24		P 314		0.0990
योग				1.992

(ब) मौजूदा भूमि उपयोग के लिये कुल अपेक्षित वन भूमि की मदवार जानकारी :-

अ. क्र.	कार्य	वनमण्डल का नाम	वन खण्ड	प्रकोष्ठ क्रमांक	आरक्षित/ संरक्षित	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.मै.)
1	2	3	4	5	6	
1	नल जल हेतु भूमिगत पाइप लाइन विछाने बाबत	गुना	पूर्व राघौगढ़	P 155	संरक्षित	0.0038
2				P 147		0.0686
3				P 144		0.0442
4				P 145		0.0033
5			किशनगढ़	P 711		0.2862
6			उत्तर राघौगढ़	P 682		0.3024
7				P 683		0.1663
8				P 684		0.0447
9				P 686		0.1659
10				P 687		0.1091
11				P 688		0.0770
12				P 675		0.0536
13				P 674		0.0220

			14				उत्तर राघौगढ़	P 676	संरक्षित	0.0088
			15					P 677		0.0208
			16					P 679		0.0220
			17					P 678		0.0280
			18				दक्षिण राघौगढ़	P 706		0.0846
			19					P 702		0.0154
			20					P 699		0.0938
			21					P 700		0.0453
			22				भैंसाना	P 696		0.0318
			23				हिलगना महु	P 316		0.1955
			24					P 314		0.0990
									योग	1.992

(स) शामिल वन भूमि का ब्यौरा:-

आरक्षित वन (हेक्टेयर में)	संरक्षित वन (हेक्टेयर में)	अवर्गीयकृत वन (हेक्टेयर में)	राजस्व वन (हेक्टेयर में)	योग (हेक्टेयर में)
0.00	1.992	00.00	00.00	1.992
4	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	4	1.992 हेक्टेयर वनक्षेत्र	

संरक्षित वन

वनक्षेत्र का घनत्व 0.2 है।

अवैदित क्षेत्र में निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	प्रजाति का स्थानीय नाम	बाटनीकल नाम	वृक्षों की संख्या	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सागवान	Tectona grandis	281	116760	
2	पलाश	Butea monosperma	22	8560	

उक्त योजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र. पी-699 में अतिक्रमण होने से प्रस्तावित योजना में वनक्षेत्र का उपयोग होने होने पर नवीन अतिक्रमण/भू-क्षरण होने की संभावना है। इस हेतु संबंधित यूजर एजेंसी से वचन-पत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त योजना में मात्र पीने का पानी की पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, अवैदक संस्था वचनबद्ध है कि इस योजना से अतिक्रमण बढ़ने की संभावना नहीं होगी।

8 भू-क्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। (वर्तमान भू-क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित प्ररियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने से संभावित भू-क्षरण होने वावत।)

9	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	9	-
10	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, बांध रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है ? (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित ही जायें)	10	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/जैव मंडल रिजर्व/बांध रिजर्व/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत क्षेत्र नहीं है।
11	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	11	प्रस्तावित क्षेत्र में प्रश्नांश से संबंधित प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं।
12	क्या सुरक्षित/पुरातत्वीय/परम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है ? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो।	12	प्रस्तावित स्थल में कोई सुरक्षित/पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।
13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉल 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है- यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	13	भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
14	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन कार्य अभी चल रहे हैं।	14	कोई उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।
15	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन या उसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	15	राजघाट बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाइन डाले जाने हेतु 1.992 हेक्टेयर बदले में कलेक्टर जिला गुना के पत्र क्र. 52/नजूल/रा.नि./2023-24 दिनांक 27.06.2022 से ग्राम रामगिर खुर्द तहसील आरोन स्थित सर्वे क्रमांक 92/1 कुल रकबा 19.458 हेक्टेयर में से 10.000 हेक्टेयर (राजस्व) भूमि (एकजाई राजस्व भूमि) वन विभाग को हस्तांतरित की गई है।

अतः वनमण्डल गुना की वन परिक्षेत्र आरोन अन्तर्गत उक्त गैर वनभूमि प्राप्त होने के उपरान्त 11 वर्षीय वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है-		<table><tr><th>क्र.</th><th>परिक्षेत्र</th><th>स्थल का नाम</th><th>सर्वे क्र.</th><th>कार्य का नाम</th><th>रकबा हे.मै.</th><th>लागत (लाख में)</th></tr><tr><td>1</td><td>आरोन</td><td>रामगिरि खुर्द</td><td>92/1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण रामगिरि खुर्द</td><td>10.000</td><td>108.53</td></tr></table>						क्र.	परिक्षेत्र	स्थल का नाम	सर्वे क्र.	कार्य का नाम	रकबा हे.मै.	लागत (लाख में)	1	आरोन	रामगिरि खुर्द	92/1	वैकल्पिक वृक्षारोपण रामगिरि खुर्द	10.000	108.53					
क्र.	परिक्षेत्र	स्थल का नाम	सर्वे क्र.	कार्य का नाम	रकबा हे.मै.	लागत (लाख में)																				
1	आरोन	रामगिरि खुर्द	92/1	वैकल्पिक वृक्षारोपण रामगिरि खुर्द	10.000	108.53																				
16	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप	16	1:15000 के मैप पर प्रतिपूरक वनीकरण का मानचित्र संलग्न है।																							
17	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूचित ढांचा आदि।	17	उक्त योजना में प्रभावित वनभूमि के बदले में प्राप्त राजस्व भूमि उपलब्ध कराई गई है। जिसकी 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव संलग्न है। उक्त योजना पर वर्ष 2023 से 2034 तक कुल रुपये 10852729.00 का व्यय संभावित है। योजनान्तर्गत मुख्यतः बांस, सागौन, करंज, आंवला, नीम, खमेर, जंगल जलेबी, जामुन, चिरोल, शीशम, सफेद सिरस आदि प्रजातियों के 10000 पौधे रोपित किये जायेंगे। उक्त कार्य वन विभाग द्वारा कराया जावेगा।																							
18	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	18	10852729.00 आने की संभावना है।																							
19	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र।	19	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण करने हेतु उपयुक्त है, जिसकी वृक्षारोपण योजना संलग्न है।																							
20	उप वन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।	20	वनमण्डलाधिकारी गुना द्वारा दिनांक <u>12/07/23</u> को आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया।																							
21	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	21	24.10.1980 से भारत सरकार/ राज्य सरकार/ नोडल अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।																							
			<table><tr><th>अ. क्र.</th><th>दुर्गने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मै)</th><th>दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हे. मै)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मै)</th><th>दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हे. मै)</th><th>योग</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>395.315</td><td>6298.235</td><td>2458.776</td><td>-</td><td>9297.001</td></tr></table>						अ. क्र.	दुर्गने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मै)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हे. मै)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मै)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हे. मै)	योग	1	2	3	4	5	6	1	395.315	6298.235	2458.776	-	9297.001
अ. क्र.	दुर्गने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मै)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हे. मै)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मै)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हे. मै)	योग																					
1	2	3	4	5	6																					
1	395.315	6298.235	2458.776	-	9297.001																					
			जिला गुना के अन्तर्गत दण्ड के रूप में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं किया गया। अभी तक कुल वृक्षारोपण 9297.001 हेक्टेयर है।																							
23	परिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि पर	23	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है :-																							

जिला	दुगने बिगड़े वनक्षेत्रा में (हेक्टे. में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	योग	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
गुना	463.330	590.394	278.520	119.616	1451.860	11078590/-
अभी तक कुल वृक्षारोपण 51451.860 हेक्टेयर में एवं व्यय 11078590 रूपये है।						
24	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशिष्ट अनुशंसा	24	जिला गुना में विकासखण्ड आरोन एवं राघौगढ़ के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र आरोन, राघौगढ़ एवं गुना दक्षिण के वनक्षेत्र में महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई, गुना द्वारा राजघाट बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन खोले जाने हेतु 1.992 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।			

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना